

हसदेव अरंड वन क्षेत्र में कोयला खदान परियोजना पर लगी रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा संभाग के हसदेव अरंड वन क्षेत्र में राजस्थान राज्य वदियुत उत्पादन नगिम लमिटिड (आरआरवीयूएनएल) को आवंटित तीन आगामी कोयला खदान परियोजनाओं पर रोक लगा दी है।

प्रमुख बदि

- गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के कड़े वरिध के कारण राज्य सरकार ने यह नरिणय लिया है।
- खनन परियोजनाओं को रोके जाने की पुष्टि करते हुए सरगुजा के ज़िलाधिकारी संजीव झा ने बताया कि तीन आगामी परियोजनाएँ- परसा, परसा पूरव और कांते बासन (पीईकेबी) का दूसरा चरण तथा कांते एक्सटेंशन कोयला खदान, जो खदान शुरू होने से पहले वभिन्न चरणों में है, को आगामी आदेश तक के लिये रोक दिया गया है।
- तीनों खदानें आरआरवीयूएनएल को आवंटित की गई हैं तथा अडानी समूह एमडीओ (माइन डेवलपर और ऑपरेटर) के रूप में इससे जुड़ा है। क्षेत्र की जनि खदानों में काम चल रहा है, वहाँ काम जारी रहेगा।
- स्थानीय लोगों का दावा है कि कोयला खदान से जैवविविधिता और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचेगा। पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील हसदेव अरंड वन क्षेत्र में खनन न केवल आदवासियों को वस्थिपति करेगा, बल्कि क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष भी बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार के आग्रह पर हाल ही में परसा खदान और पीईकेबी के दूसरे चरण की कोयला खनन परियोजनाओं के लिये अंतिम मंजूरी दी थी।